न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प धोरीमना

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 31/2016

अपीलांट		रेस्पोडेटस
भैराराम पुत्र मिश्रीराम जाति नाई निवासी सनावड़ा कला तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर	बनाम	1. रावताराम पुत्र मिश्रीराम जाति नाई निवासी सनावड़ा कलां तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार गुड़ामालानी 3. तहसीलदार धोरीमना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 07.10.2010 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी।

उपस्थित–
1. अपीलांट अनुपस्थित।
2. रेस्पोंडेंटस संख्या 01 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंटस संख्या 03 की तहसीलदार धोरीमना उपस्थित।

आदेश   दिनांक 25.06.2018

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 45 रकबा 150 बीघा व खसरा नंबर 63 रकबा 07 बिस्वा सरहद मौजा सनावड़ा कलां पटवार क्षेत्र भीमथल तहसील गुड़ामालानी वर्तमान तहसील धोरीमना में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 01 का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है। तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी बाहामी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है। रेस्पोडेंटस संख्या 01 ने आपसी सहमति से माकिफ बाहामी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार जोतो का विभाजन करवाने हेतु अपीलांट के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे अपीलांट द्वारा सहमति दी गई, परन्तु उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा अपीलांट

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

द्वारा दी गई सहमति अनुसार पेश नही कर, हल्का पटवारी को प्रभावित करते हुए भिन्न प्रकार से प्रस्ताव तैयार कर अपीलांट की जानकारी के बगैर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2010 पारित करवाया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन रिकार्ड तलब किया। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार न्याय आपके द्वार के तहत राजस्व कोर्ट केम्प धोरीमना में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। अपीलांट का नोटिस उसके पुत्र से तामिल होकर प्राप्त होने के बावजूद अपीलांट हाजिर नहीं आये। रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 03 उपस्थित।

3. रेस्पोडेंटस संख्या 01 के द्वारा जाहिर किया कि मौजा सनावड़ा कलां के खसरा नंबर 45 रकबा 150 बीघा व खसरा नंबर 63 रकबा 07 बिस्वा भूमि का विभाजन दोनो पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से करवाया गया था। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही है। अपीलांट द्वारा की गई अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. रेस्पोडेंटस संख्या 03 तहसीलदार धोरीमना द्वारा जाहिर किया गया कि वर्तमान जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 47 के मुताबिक ग्राम सनावड़ा कला के खसरा नंबर 45, 45/2 रकबा क्रमश 57 बीघा 18 बिस्वा एवं 16 बीघा भूमि रावताराम वल्द मिश्रीराम तथा खाता संख्या 33 के अनुसार खसरा नंबर 45/1, 45/3 रकबा क्रमशः 59 बीघा एवं 15 बीघा 8 बिस्वा भूमि भैराराम वल्द मिश्रीराम के नाम दर्ज है। खसरा नंबर 63 रकबा 0.07 गै.मु. दोनो खातेदारो की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान मौके अनुसार अपीलांट भैराराम की

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

ढाणी आंशिक रूप से तथा टांका पूर्ण रूप से रावताराम के खसरा नंबर 45 में स्थित है। उक्त ढाणी व टांके पर भैराराम का कब्जा है।

5. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 03 द्वारा किये गये कथनो पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 07.10.2010 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 45 रकबा 150 बीघा व खसरा नंबर 63 रकबा 07 बिस्वा सरहद मौजा सनावड़ा कलां पटवार क्षेत्र भीमथल तहसील धोरीमना में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 का संयुक्त कब्जा काश्त है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट भैराराम की ढाणी आंशिक रूप से तथा टांका पूर्ण रूप से रावताराम के खसरा नंबर 45 में स्थित है, जिस पर भैराराम का कब्जा है। इसी प्रकार भैराराम की ढाणी आंशिक रूप से एवं टांका पूर्ण रूप से रावताराम के हिस्से में है। उक्त सहमति से पारित विभाजन में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2010 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार धोरीमना को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय कोर्ट केम्प धोरीमना में दिनांक 25.6.2018 को खुले परिसर में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)